महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

1– प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः बे0शि0प0/ 9609 – 9931 /2020–21 दिनांक – 11-10-2020

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1125/68–5– 2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या–1191(1)/68–5–2020 दिनांक 06.10.2020 के कम में 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1125/68–5–2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या–1191(1)/68–5–2020 दिनांक 06.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष 31277 पदों पर सहायक अध्यापक की चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये है–

"69000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रकिया प्रारम्भ की गयी थी तथा अभ्यर्थियों को जनपद में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किये जा चुके है। प्रश्नगत भर्ती प्रकिया में अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद एवं आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल उपलब्ध 69000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31661 पदों की नियुक्तियां प्रथम चरण में सुनिश्चित की जायेगी।"

69000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल 69000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31277 पदों पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही जनपदवार प्रथम चरण में की जा रही है।

जनपद स्तर पर सहायक अध्यापकों के नियुक्ति सम्बन्धी समस्त कार्यवाही निम्न समय सारिणी के अनुसार किया जाना है–

क्र0 सं0	अपेक्षित कार्यवाही	निर्धारित दिनांक
01	31277 अनन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना	12.10.2020
02	एन0आई0सी0 द्वारा परिषद कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जनपदवार सूची को जनपदों को उपलब्ध कराया जाना	13.10.2020
04	जनपद स्तर पर काउन्सिलिंग का आयोजन	14.10.2020 से 15.10.2020
05	नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना	16.10.2020

1– 31277 अनन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 13.10.2020 को एक्सेल सीट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned by CamScanner

2— अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक/अन्य अभिलेखों की जांच दिनांक 14.10.2020 एवं 15.10.2020 को की जायेगी। निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक/अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे जाति, दिव्यांगता, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण के साथ उपस्थित होगा।

3— सहायक अध्यापकों के 31277 पदों पर जनपदवार चयन/नियुक्ति की कार्यवाही उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली—1981 (अद्यतन संशोधित) में गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

4— जनपदीय चयन समिति चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों की जांच कर अर्ह पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। विद्यालय आवंटन के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

5— अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउन्सिलिंग में अपने समस्त शैक्षिक/अन्य मूल अभिलेखों, उसकी दो सेट स्व प्रमाणित छायाप्रति, चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा **''सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज'' के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क** (अनारक्षित/ओ0बी0सी0 हेतु रू0 500, अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रू0 200, विशेष आरक्षण में दिव्यांगजन को छोड़कर अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में चयनित है के अनुसार शुल्क देना होगा) का बैंकड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा।

आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउन्सिलिंग के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा।

6— शासन द्वारा लिये गये निर्णय के कम में अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के समय रू0 100 के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की **घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनायें, मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतया सही हैं तथा वह जनपद.......... में नियुक्त होने के उपरान्त अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की मांग नहीं करेगा।**

7— काउन्सिलिंग के लिए निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जायेगी तथा कोविड—19 के विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिग एवं सैनेटाइजिंग की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। काउन्सिलिंग की तिथि को समुचित पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा साफ सफाई रखी जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी तथा सम्बन्धित थाने को पर्याप्त पुलिस बल के लिए अनुरोध किया जायेगा। काउन्सिलिंग की तिथि की जानकारी जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अवश्य सूचित किया जाये।

8— काउन्सिलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जायेगा तथा पंजिका के जिस कमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा, उस कमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों का विवरण अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कराया जायेगा। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जाये तथा उसके सहयोग के लिए किसी लिपिक को नामित किया जाये। अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव के लिए सम्बन्धित लिपिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा।

9— अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अर्ह पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों से स्वास्थ प्रमाण पत्र दो दिन के भीतर प्राप्त कर लिया जायेगा।

10— काउन्सिलिंग प्रकिया में अभ्यर्थियों के शैक्षिक व अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि वे निर्धारित शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु, प्राथमिक स्तरीय टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 परीक्षा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा एवं **शिक्षामित्र को उनके कार्यानुभव हेतु प्रदान किये गये अधिकतम 25 अंकों के भारांक के सम्बन्ध में यह ज्ञात कर लिया जाये कि वह परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवधि का ऑगणन इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हों तथा उनके द्वारा इस अवधि में शिक्षामित्र के रूप में परिषदीय विद्यालयों में कार्य किया गया है।**

Scanned by CamScanner

उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार परिषद कार्यालय द्वारा प्राप्त करायी जा रही अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जांच उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के कम में करते हुए समस्त कार्यवाही समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाये। समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जनपदीय समिति के स्तर से की जायेगी जिसमें अभिलेखों के रख रखाव, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव जनपदीय चयन समिति का होगा। किसी प्रकार की शिथिलता के लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले नियुक्ति पत्र में शासनादेश संख्या–1125/68–5–2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या–1191(1)/68–5–2020 दिनांक 06.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार स्पष्ट अंकित किया जायेगा कि–

1– नियुक्तियां मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–11198/2020 राम शरण मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

2– अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद भी मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–11198/2020 राम शरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का मार्ग व्यय या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से जनपद में विज्ञप्ति प्रकाशित कर काउन्सिलिंग का स्थान व समय सूचित करते हुए चयन/नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

काउन्सिलिंग की तिथि को डायट के प्रवक्ता/खण्ड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में आवश्यकतानुसार टीम गठित कर काउन्सिलिंग/चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

उक्त समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के कम में एवं शासनादेश दिनांक 24.09.2020 तथा 06.10.2020 एवं उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली–1981 अद्यतन संशोधित में उल्लिखित प्राविधानानुसार पूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पादित की जायेगी।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
सचिव, 11.10.20
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

पृ0सं0/बे0शि0प0/9609–9931 /2020–21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– विशेष सचिव शिक्षा अनुभाग–5 बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
6– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
7– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

(प्रताप सिंह बघेल)
सचिव, 11.10.20
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

Scanned by CamScanner